भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 771
जिसका उत्तर बुधवार, 26 जून, 2019 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधि विद्यालय

+771. श्री रामचरण बोहरा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विद्यालय/ महाविद्यालय स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विधि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सभी राज्यों में उत्कृष्टता संस्थान स्थापित करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विधि के क्षेत्र में डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि को कम करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : वर्तमान में, प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विद्यालय/ विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचार हेतु लंबित नहीं है।

(ग) : नहीं, वर्तमान में विधि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सभी राज्यों में उत्कृष्टता संस्थान स्थापित करने की कोई स्कीम केन्द्रीय सरकार के पास लंबित नहीं है।

(घ) : विधि में डिग्री पाठ्यक्रम का काल और अवधि भारतीय विधिज्ञ परिषद के अधिकार क्षेत्र में है।

****